भिलाई निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कई दुकानों पर की कार्रवाई, जब्ती के साथ ही वसूला जुर्माना, प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने कयावद जारी

भिलाई नगर / भिलाई निगम शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लगातार बाजार क्षेत्रों एवं दुकानों में निरीक्षण कर प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर जब्ती के साथ ही जुर्माने की कार्रवाई कर रही है इसी तारतम्य में निगम ने कई दुकानों में कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूल किया। भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों को पूर्णरूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करने के लिए टीम का गठन किया है। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के निर्देश पर प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्यवाही अभियान लगातार जारी है। प्रत्येक जोन में अलग-अलग जगहों पर दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जहां भी सिंगल यूज प्लास्टिक व प्रतिबंधित प्लास्टिक का विक्रय करते हुए पाया जा रहा है वहां इसे जब्ती करते हुए जुर्माना भी वसूला जा रहा है। उल्लेखनीय है कि महापौर नीरज पाल ने भी प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील शहरवासियों से की है। शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करें। किसी भी प्रकार की सामग्री लेने के लिए कपड़े से बने थैले इत्यादि का उपयोग करें। प्लास्टिक से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है जिसको देखते हुए इस पर भिलाई निगम क्षेत्र में कड़ाई करना प्रारंभ कर दिया गया है। रात्रि के समय भी ठेला लगाकर व्यवसाय करते हुए प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग व विक्रय करने वालो पर लगाम लगाया जा रहा है। निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करने बढ़ाई टीम अब और मजबूती से होगी कार्रवाई प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करने के लिए निगम ने टीम को और मजबूत करने अतिरिक्त कर्मचारियों को इसमें शामिल किया है। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक एवं सीएनडी वेस्ट और सार्वजनिक स्थानों में गंदगी फैलाने वालों पर भी कार्रवाई के लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। नवीन आदेश के तहत हरिओम गुप्ता सहायक राजस्व निरीक्षक को तथा अंजनी सिंह हेल्पर/क्लीनर को इसके लिए नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही शंकर साहनी स्वच्छता निरीक्षक को स्वास्थ्य विभाग स्टोर मुख्य कार्यालय के साथ-साथ स्वच्छता निरीक्षक वैशाली नगर जोन का दायित्व दिया गया है।